प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में बिना विधानमण्डलों वाले पाँच संघ शासित क्षेत्रों के वित्तीय लेन–देनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जो 2013–14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा में तथा जो पहले के वर्षों में पाए गए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका था; जहां कहीं आवश्यक था, 2013–14 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी इसमें शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।